सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-341/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 04 सितम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-जहानागंज

पुलिस मुठभेड में अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा जघन्य अपराधों के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभिय़ान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में दिनांक 03.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक जाहनागंज श्रीमती ज्ञानू प्रिया मय हमराह द्वारा वाछिंत/सदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग करते हुए इटौरा खरिहानी रोड पर अकबेलपुर तिराहा के पास मौजूद थे उसी दौरान इगल मोबाइल के का0 साजिद अली व का0 अभय प्रताप सिंह तथा उसके साथ का0 संदीप सिंह आकर मिले। हम लोग आपस मे अपराध एंव अपराधियो पर चर्चा कर रहे थे तभी एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया शक होने पर रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस बल द्वारा अपनी सुरक्षा करते हुए दौडाकर एक बारगी घेरकर आवश्यक पुलिस बल प्रयोग कर समय 19.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम झिन्कू यादव पुत्र लालता उर्फ पब्बर यादव निवासी धरमनपुर थाना जहानागंज आजमगढ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद कट्टा 315 बोर,02 अदद जिन्दा कारतूस,एक अदद खोखा 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 190/20 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त झिनकू यादव ने पुछताछ में बताया कि मै अवैध अपमिश्रित शराब का कारोबार करता हूँ। मेरे यहा से अवैध शराब व शराब बनाने का उपकरण आदि बरामद हुआ था उस समय मै मौके से भाग गया था। आज अचानक पुलिस को सामने देखकर मै सोचा कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी इसी डर से मै बचने के लिए पुलिस पर फायर कर भागने लगा कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

झिनकू यादव पुत्र लालता यादव उर्फ पब्बर यादव ग्राम धरमनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 190/20 धारा 307 भादविव 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0स0 274/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ

2-मु0अ0स0 86/2019 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ

3-मु0अ0सं0 151/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ

4. मु0अ0सं0 190/20 धारा 307 भादविव 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।

बरामदगी

एक अदद तमन्चा 315 बोर,एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

प्र0नि0 जहानागंज श्रीमती ज्ञानू प्रिया थाना जहानागंज मय हमराह जनपद आजमगढ।